भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1959
(03 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में पीएमजीएसवाई

1959. श्री दिलीप घोषः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015 से अब तक पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित सड़कों का ब्यौरा क्या है;
(ख) पश्चिम बंगाल में 2019-20 के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माण के लिए प्रस्तावित सड़कों की संख्या कितनी है; और
(ग) वर्ष 2015 से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और निधि के बंटवारे और इसके उपयोग की पद्धति क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) : वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में बनाई गई सड़कों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	**निर्मित सड़कों की संख्या**	**निर्मित सड़कों की लंबाई (कि.मी.)**
2015-16	517	2466.15
2016-17	482	2825.53
2017-18	298	3213.10
2018-19	649	5111.22
2019-20 (26.2.2020 तक)	746	1704.21

(ख) : वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को 2,600 कि.मी. लंबी सड़क बनाने का लक्ष्य दिया गया है।

(ग) : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को वर्ष 2000 में शत-प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। तथापि, वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वित्तपोषण पद्धति सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में है, जबकि पूर्वोत्तर और तीन हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए यह 90:10 के अनुपात में है। वर्ष 2015 से पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दी गई केंद्रीय निधियों और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	**जारी की गई निधि (रू. करोड़ में)**	**उपयोग की गई निधि (रू. करोड़ में) @**
2015-16	1427.58	1243.33
2016-17	819.18	1055.28
2017-18	1000.00	1253.13
2018-19	1386.44	2058.28
2019-20 (26.02.2020 तक)	237.83	1323.15

@ इसमें केंद्रीय अंश, राज्य अंश और विगत वर्षों की खर्च न की गई शेष राशि शामिल हैं।

*****